कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक,

उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

विषय: रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय की दिनांक 31 मार्च, 2016 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

****

इस मुख्यालय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 31 मार्च, 2016 को श्री मोहिन्दर सिंह, भा.र.ले.से., रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (ले.प.) की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

1.	श्री मुश्ताक अहमद, भा.र.ले.से., रक्षा लेखा वरिष्ठ सहायक महानियंत्रक(प्रशा.)	सदस्य
2.	श्री सुन्दर विश्वनाथन, भा.र.ले.से., रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक(ले.प.)	सदस्य
3.	श्री राम कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आई.एफ.ए.)	सदस्य
4.	श्री आर. रंगनाथन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रशा.)	सदस्य
5.	श्री कृष्ण कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा/बजट)	सदस्य
6.	श्री जीतेन्द्र जोशी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेप.)	सदस्य
7.	श्री सुभाष चन्द गुप्ता, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.)	सदस्य
8.	श्री संजीव जे. बजाज, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.)	सदस्य
9.	श्री सुनील कुमार सिंह, लेखा अधिकारी (लेप.-समन्वय)	सदस्य
10	श्री श्रीनिवास शर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.)	सदस्य सचिव

अन्य उपस्थित:

1. श्रीमती काकोली दत्ता, वरिष्ठ अनुवादक
2. श्रीमती बीना कुमारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
3. श्री पंकज दलाल, कनिष्ठ अनुवादक
4. श्री रवि कुमार, कनिष्ठ अनुवादक
5. श्री संदीप बोस, कनिष्ठ अनुवादक

श्री जीतेन्द्र जोशी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेप.) एवं श्री सुनील कुमार सिंह, लेखा अधिकारी (लेप.-समन्वय) का नए सदस्य के रूप में समिति से परिचय कराने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही शुरु की गई :-

मद सं.:1 **<u>दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत की पुष्टि:</u>**

समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 04 जनवरी, 2016 के पत्र सं. 55018/5/81/हि.क./रा.भा.का.स./मु.का./26 के अंतर्गत सभी संबंधितों की जानकारी एवं यथाअपेक्षित कार्रवाई हेतु रक्षा लेखा महानियंत्रक की वैबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे । किसी भी सदस्य से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए, अत: समिति द्वारा सर्व सम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई।

मद सं.:2 पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई :

(1) <u>रिपोर्ट-रिटर्न संबंधी प्रपत्र अथवा उनके अग्रेषण पत्र, दावों एवं परिपत्रों/आदेशों के अग्रेषण पत्र हिंदी में जारी करना, रजिस्टरों और सेवा-पुस्तिकाओं में हिंदी में प्रविष्टियां तथा हिंदी में पत्राचार में वृद्धि</u> :

समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्यणानुसार हिंदी कक्ष द्वारा 10 अनुभागों का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि कुछ अनुभाग रिपोर्ट-रिटर्न संबंधी प्रपत्र अथवा उनके अग्रेषण पत्र, दावों एवं परिपत्रों/आदेशों के अग्रेषण पत्र हिंदी/द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाए जाने के उपरांत भी इन्हें अंग्रेजी में ही जारी कर रहे हैं।

समिति ने इस पर आपत्ति जताते हुए निर्देश दिया कि मुख्यालय में हिंदी कार्य की मात्रा को बढ़ाने के लिए भविष्य में हिंदी प्रारूपों का अधिक प्रयोग किया जाए। रजिस्टरों और सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं।

समिति ने सुझाव दिया कि इस संबंध में हस्ताक्षरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागज़ात द्विभाषी रूप में जारी हों तथा रजिस्टरों और सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में हों। इसके लिए जांच बिंदु बनाए जाए एवं सुनिश्चित किया जाए कि राजभाषा नियमों के समुचित अनुपालन के लिए बनाए गए निम्नलिखित जांच बिंदुओं का प्रभावशाली ढंग से अनुपालन किया जा रहा है :

	कार्य	जांच बिंदु
1.	सभी सामान्य आदेश अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।	प्रभारी अधिकारी, सभी अनुभाग
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएं।	प्रभारी अधिकारी, सभी अनुभाग
3.	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में भेजे जाएं।	प्रभारी अधिकारी, सभी अनुभाग
4.	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिंदी में लिखे जाएं।	प्रभारी अधिकारी, प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग तथा प्रभारी अधिकारी, अन्य अनुभाग (उन मामलों में जो उनसे संबंधित है।)

5.	कोड/मैनुअल तथा गजट की सामग्री द्विभाषी रूप में मुद्रित कराई जाए।	प्रभारी अधिकारी, लेखापरीक्षा-6 अनुभाग
6.	सभी प्रकार के फार्मों, रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइनबोर्ड, सीलें, पत्र शीर्ष, वाहनों पर कार्यालय का विवरण, विजिटिंग कार्ड, बैज/बिल्ले, लोगो, मोनोग्राम एवं चार्ट/नक्शे द्विभाषी रूप में बनवाना।	प्रभारी अधिकारी- प्रशासन-5 अनुभाग तथा प्रभारी अधिकारी, अन्य अनुभाग (उन मामलों में जो उनसे संबंधित है।)
7.	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं।	प्रभारी अधिकारी, प्रशासन-1 एवं प्रशासन-4 अनुभाग
8.	कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करने हेतु सभी कम्प्यूटरों में हिंदी सॉफ्टवेयर लोड किया जाए अथवा यूनिकोड सुविधा उपलब्ध कराई जाए।	प्रभारी अधिकारी, ई.डी.पी केन्द्र
9.	सभी रजिस्टरों में प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से हिंदी में की जाएं।	प्रभारी अधिकारी, सभी अनुभाग

(2) जिन अधिकारियों को जांच बिंदु बनाया गया है वे तीन दिन के भीतर इस बात की पुष्टि करेंगे कि उन्होंने इन बिंदुओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जारी किए गए जांच बिंदु और उपर्युक्त बिंदुओं के मामले में स्थिति की जाँच हेतु समय-समय पर उच्च स्तर के अधिकारी को नामित किया जाएगा, जिसके लिए हिंदी कक्ष अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

बैठक में सूचित किया गया कि वर्तमान मे कार्यालय में कुल 47 अधिकारी एवं 107 कर्मचारी राजभाषा नियम 9 के अंतर्गत प्रवीणता प्राप्त हैं। नियम 8(4) के अंतर्गत इन सभी को व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाने हैं,और आदेश तुरंत जारी कर दिए जाएंगे।

(कार्रवाई : हिंदी कक्ष/सभी अनुभाग(स्थानीय))

(3) <u>रक्षा लेखा विभाग की वैबसाइटों का द्विभाषीकरण</u> :

पिछली बैठक में समिति की राय थी कि वैबसाइट में 'राजभाषा कोना' के रूप में हिन्दी वैबसाइट को मूल शीर्षक में स्थान दिया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में सूचित किया गया कि वैबसाइट में 'राजभाषा कोना' के रूप में हिन्दी वैबसाइट को मूल शीर्षक में स्थान दे दिया गया है।

मद सं: 3 सितम्बर, 2015 तथा दिसम्बर, 2015 की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा :

सदस्य सचिव ने समिति के समक्ष सितम्बर, 2015 तथा दिसम्बर, 2015 की हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आंकड़े प्रस्तुत किए तथा सूचित किया कि हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि निम्नलिखित कार्यालय के हिन्दी पत्राचार में पिछली तिमाही के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है।

संगठन का का नाम	भेजे गए हिंदी पत्रों की प्रतिशतता					
	क क्षेत्र		ख क्षेत्र		ग क्षेत्र	
	9/15	12/15	9/15	12/15	9/15	12/15
रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौ सेना),	96.28%	92.80%	93.33%	92.70%	92.27%	91.57%

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि इस संबंध में संबंधित कार्यालय को पत्र जारी कर दिया गया है। समिति ने मुख्यालय कार्यालय में हिंदी में हो रहे कम पत्राचार पर चिन्ता व्यक्त की और अपील की इस संबंध में सभी अनुभाग उचित कदम उठाएं ताकि हिंदी पत्राचार के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। 'क' क्षेत्र के अनुरूप यह औसत प्रतिशत काफी कम है।

(कार्रवाई: सभी र.ले.प्र.नि./र.ले.नि कार्यालय एवं मुख्यालय कार्यालय के सभी अनुभाग/हिंदी कक्ष)

मद सं.:4 हिंदी प्रशिक्षण की स्थिति :

सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि मुख्यालय कार्यालय में 24 आशुलिपिक तथा 14 लिपिक(सीधी भर्ती द्वारा) तैनात हैं जिनमें से 22 आशुलिपिकों तथा 11 लिपिकों को क्रमशः हिंदी आशुलिपि तथा हिंदी टंकण का ज्ञान प्राप्त है। शेष 02 आशुलिपिक 'हिंदी आशुलिपि' हेतु नामित किए गए थे लेकिन उनमें से दोनों आशुलिपिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ रहे एवं शेष लिपिकों को मुख्यालय में ही पत्राचार माध्यम से 'हिंदी टाइपिंग' प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और परीक्षा पत्राचार माध्यम से दिलायी जाएगी।

(कार्रवाई : हिंदी कक्ष)

मद संख्या: 5 रक्षा लेखा विभाग में हिंदी पदों की स्थिति :

संवर्ग समीक्षा के उपरांत हिंदी संवर्गीय प्राधिकृत पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :

	स्वीकृत पद	**भरे गए पद**	**रिक्त पद**
सहायक निदेशक(राजभाषा)	37	13	24
वरिष्ठ अनुवादक	35	35	-
कनिष्ठ अनुवादक	70	56	14

1. तदर्थ (Adhoc)हिंदी अधिकारियों के वरिष्ठ हिंदी अनुवादक पद पर प्रत्यावर्तन(Reversion) के उपरांत सहायक निदेशक(राजभाषा) के 24 पद रिक्त हैं।
2. 15 कनिष्ठ अनुवादकों की पदोन्नति के उपरांत वरिष्ठ अनुवादक के सभी पद भरे हुए हैं।
3. कनिष्ठ अनुवादकों के 56 पद भरे हुए हैं।
4. प्रशासन अनुभाग के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि कनिष्ठ अनुवादकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग एवं संबंधित क्षेत्रीय कर्मचारी चयन आयोग से डोजियर प्राप्त हुए हैं। नियुक्ति हेतु डोजियरों को संबंधित प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक कार्यालयों को भेज दिया गया है। अब तक 16 कनिष्ठ अनुवादकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। समिति की राय थी कि शेष सभी डोजियरों के बारे में संबंधित कार्यालयों से पता किया जाए और तदुपरांत कनिष्ठ अनुवादकों के रिक्त स्थानों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए।

(कार्रवाई: सभी र.ले.प्र.नि./सभी र.ले.नि/प्रशा.-8, प्रशा-11 अनुभाग, (स्थानीय))

मद संख्या:6 रक्षा लेखा विभाग में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रक्षा लेखा विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण :

वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित 25 % लक्ष्य (कुल 08 कार्यालय) की प्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक (आईडीएस), नई दिल्ली, रक्षा लेखा नियंत्रक, गुवाहाटी, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, बैंगलूर, रक्षा लेखा नियंत्रक(अन. एवं वि.), बैंगलूर, रक्षा लेखा नियंत्रक, चेन्नई, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(नौ सेना), मुम्बई, रक्षा लेखा नियंत्रक(सीएसडी), मुम्बई तथा रक्षा लेखा नियंत्रक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मेरठ का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया जा चुका है। इसप्रकार कुल 08 कार्यालयों का निरीक्षण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में भी 08 कार्यालयों का निरीक्षण करने का कार्यक्रम है जिसके लिए यथा समय निरीक्षण कार्यक्रम तैयार कर लिया जाएगा।

(कार्रवाई: हिंदी कक्ष एवं संबंधित रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक)

मद संख्या:7 संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण :

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा इस वर्ष निम्नलिखित कार्यालयों का निरीक्षण उनके समक्ष दर्शाई गई तारीखों को किया गया :

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	निरीक्षण की तारीख
1.	वेतन लेखा कार्यालय(अन्य श्रेणी), मद्रास रेजीमेन्ट केन्द्र, वेलिंगटन	16.01.2015
2.	रक्षा लेखा नियंत्रक(वायुसेना), नई दिल्ली	11.02.2015
3.	स्थानीय लेखापरीक्षा अधिकारी(सेना), मऊ	17.02.2015
4.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(वा.से.), देहरादून	21.05.2015
5.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(प.क.), चंडीगढ़	11.06.2015
6	वेतन लेखा कार्यालय(अन्य श्रेणी),जैकलाई, श्रीनगर	17.06.2015
7.	वेतन लेखा कार्यालय(अन्य श्रेणी), लद्दाख, स्काउट्स, लेह	07.09.2015
8.	लेखा कार्यालय, स्वास्तिक परियोजना, गंगटोक	06.11.2015
9.	रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अनु. एवं वि.), नई दिल्ली	16.01.2016
10.	स्थानीय लेखापरीक्षा (सेना), बीकानेर	13.02.2016
11.	लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता, जैसलमेर	16.02.2016

2. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 06.11.2015 को लेखा कार्यालय, स्वास्तिक परियोजना, गंगटोक, दिनांक 16.01.2016 को रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अनु. एवं वि.), नई दिल्ली, दिनांक 13.02.2016 को स्थानीय लेखापरीक्षा (सेना), बीकानेर एवं दिनांक 16.02.2016 को लेखा अधिकारी, दुर्ग अभियंता, जैसलमेर के निरीक्षण के दौरान उक्त कार्यालयों के प्रमुख द्वारा समिति को दिए गए आश्वासनों की सूची अभी प्रतीक्षित है। सूची प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(कार्रवाई: हिंदी कक्ष)

मद संख्या : 8 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय :

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि मुख्यालय कार्यालय में आए नए कम्प्यूरों में यूनिकोड सक्रिय नहीं है।

इस बारे में अनुरोध किया गया कि ऐसे शेष सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड सक्रिय करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रणाली (IT & System) कक्ष शीघ्र कार्रवाई करें।

(कार्रवाई: सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रणाली कक्ष)

(श्रीनिवास शर्मा)

सहायक निदेशक (राजभाषा) सह सदस्य सचिव